PROSPECTUS

Better Courses

Better Career

Better Life

H.N.A. ROHILKHAND DEGREE COLLEGE

Khera Bajhera (SPN)

(Affiliated to M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly)

कॉलेज की गतिविधियाँ.............................. एक नज़र

CAMPUS
Village Khera Bajhera, Block Jaentipur Tahsil Tilhar & District Shahjahanpur U.P. India 242303
CITY OFFICE
16, Khushbu Enclave, Pilibhit By Pass University Road, Bareilly U.P. India 243006
Mobile : 09410448834 - E-mail : hnarohilkhanddegreecollege@gmail.com

नव सृजकों से................

एच.एन.ए. रूहेलखण्ड डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में ग्राम खेड़ा बझेड़ा की उत्तर-पूर्व दिशा में हरे भरे मैदान पर बना एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है। ये कॉलेज शिक्षा व समाज के सन्दर्भो का पूरी गहराई से अध्ययन करते हुऐ अपनी भूमिका को संस्कृति में गढ़ते हुऐ देखेगा इस संस्थान की गरिमा व परम्परा से जुड़कर आप इसे नया आयाम दें। यह संस्थान की सदिच्छा है और आपका दायित्व। राष्ट्र व समाज की दिशा में जब भी सद् सृजन और सद्परिवर्तन की मांग होती है तो इसका दायित्व सर्वदा युवाओं के कंधों पर आता है। आप राष्ट्र की स्वभाविक इच्छा हैं इस महाविद्यालय के प्रथम सोपान पर आपको आशीर्वाद देते हुए आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप शिक्षा के मूल मंतव्यों को समझते हुए समाज व राष्ट्र के ऋण व अपेक्षाओं को पूरी तन्मयता व आत्मीयता से पूर्ण करेंगे।

शिक्षा का अर्थ केवल लिखना पढ़ना और गणना कर लेना भर मात्र नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा का विकास करना होगा जिसमें एक दूसरे का आदर व सम्मान करना सिखाया जाये। ऐसी शिक्षा जिसकी मदद से एक शांतिपूर्ण और खुशहाल समाज का निर्माण हो सके। यूँ तो राष्ट्र व समाज को सदैव नूतन सृजन की आवश्यकता होती है, किन्तु वर्तमान में सम्भवता हम कुछ अधिक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यह दौर है मूल्यों के क्षरण का व उनके प्रति संदेहा स्पद हो उठने का।

आप सभी का इस नव सत्र् के नव सोपान पर स्वागत् करते हुए विश्वास करते हैं कि आप जीवन के सत्यार्थ को ग्रहण कर सफल नागरिक बनेंगे। हम आपके सदा सर्वदा साथ हैं।

संस्थान में किसी भी प्रकार के अनावश्यक दबाव या नियम प्रतिकूल प्रयास को प्रोत्साहन देने से बचें तथा अनुशासन व अपने संस्थान को गरिमा के शीर्ष पर लें जाने में सहयोग करें।

मंगलमय् कामनाओं के साथ...

डॉ0 मोहम्मद यासीन
एम.ए.-एलएलबी-एमफिल्-पीएचडी-डीलिट्
चेयरमैन
एच.एन.ए.रूहेलखण्ड डिग्री कॉलेज, ग्राम खेड़ा बझेड़ा (शाहजहांपुर)

हमारे सपने वह नहीं जो नींद में आते हैं, हमारे सपने वो हों जिन्हें पूरा करने तक नींद ही ना आये - डॉ0 मोहम्मद यासीन

पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया.....

संक्षिप्त परिचय संस्थापक...........

सतत् जनसेवा को समर्पित लगन शील विकास के स्वप्न–दृष्टा आर्थिक कर्मयोगी श्री अशफाक अहमद का जन्म जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम खेड़ा बझेड़ा निवासी कृषक हाजी नादिर अली साहब के परिवार में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। ग्राम के ही स्कूल से शिक्षा प्राप्त की । साधारण परिवार में पले बढ़े जनाब अशफाक साहब बड़ी सोंच के धनी होने के कारण ही अपने पुत्र डॉ0 मोहम्मद यासीन की सहायता से एक डिग्री कॉलेज की 16 नवम्बर 2014 ई0 को स्थापना की जो आज एच.एन.ए.रूहेलखण्ड डिग्री कॉलेज शिक्षा केन्द्र के रूप में चारों ओर रौशनी फैला रहा है।

परम्पिता से कामना है कि आपको शतायु प्रदान करे ताकि न केवल हमारा महाविद्यालय बल्कि देश एवं प्रदेश आपकी सेवाओं से लाभांवित होता रहे।

शुभकामना संदेश...........

मैं आपको बधाई व आशीर्वाद देते हुऐ खुश हो रहा हूँ कि आप उच्च शिक्षा के सोपान तक आ चुके हैं। महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। इसके पाठ्येत्तर गतिविधियों से जुड़ते हुये आप ज्ञानार्जन करें तथा अनुशासित व्यक्तित्व का परिचय देते हुये सार्थक नागरिक के रूप में विकसित हों। ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता सूची में नहीं आये वह अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश और दबाव न डलवायें ना हीं किसी को प्रवेश हेतु लालच दें। ऐसे अभ्यार्थी कॉलेज में किसी भी प्रयोजन से जुड़ा है, उसके प्रलोभन में न आयें तथा ना हीं भ्रमित हों।

आपके मंगलमय् भविष्य के लिए मेरी शुभकामनायें।

श्री अशफाक अहमद
संस्थापक
एच.एन.ए.रूहेलखण्ड डिग्री कॉलेज

ध्यान रहे....

1. किसी भी अभ्यर्थी को प्राचार्य बिना कारण बताये प्रवेश देने से रोक सकते हैं और दिये हुये को निरस्त भी कर सकते हैं।
2. किसी भी अभ्यर्थी को सामयिक छात्र/छात्रा (casual student) के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार का जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा (चाहें वह लाईसेन्स धारक भी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र कालेज में लाना वर्जित है।
5. कॉलेज प्रांगण में मोबाइल फोन लाना व प्रयोग करना भी वर्जित है। प्राचार्य कक्ष कक्षाओं में पढ़ाई के समय सेमीनार कॉंफ्रेंस तथा सभागार इत्यादि में कार्यक्रमों के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करना वर्जित है।
6. परीक्षा के समय मोबाइल फोन व नकल सामग्री लाना दण्डनीय अपराध है।
7. प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
8. कॉलेज प्रांगण में धूम्रपान, नशीले पदार्थों का प्रयोग, थूकना, गन्दगी करना, छिल्के, पॉलीथीन आदि फेंकना तथा अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना पूर्णयता वर्जित है।
9. परीक्षा सुधार के आधार पर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार किये जायेंगे।
10. सामान्यत: कॉलेज का समय प्रात: 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक है जिसमें समय सारिणी के अनुसार समस्त कक्षायें संचालित होती हैं। कॉलेज प्रांगण में प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश मना है।
11. खाली समय में छात्र/छात्रायें कालेज पुस्तकालय में जाकर ज्ञान वर्धक पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
12. छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है की वह अपनी समस्याओं के समाधान हेतु चीफ प्राक्टर /प्राक्टोरियल बोर्ड/अधिष्ठता छात्र कल्याण से सम्पर्क करें।
13. यदि छात्र/छात्रा की कोई निजी समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से चीफ प्राक्टर से अथवा प्राचार्य से मिलने का समय निश्चित कर मिल सकते हैं।
14. कॉलेज प्रांगण में किसी भी चीज को क्षति पहुँचाना जैसे दीवारों पर लिखना, खुरचना, फर्नीचर खराब करना आदि दण्डनीय अपराध है इसमें लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
15. छात्र/छात्राओं की विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु विभागाध्यक्ष अधिकृत हैं।
16. छात्र/छात्राओं की सामान्य अथवा विशेष समस्याओं के समाधान हेतु अध्यापकों की 'छात्र–छात्रा समस्या निवारण समिति' गठित की गई है।
17. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय परिसर में शालीन वस्त्र पहन कर आयें।

आज्ञा से

प्राचार्य

एच.एन.ए.रूहेलखण्ड डिग्री कॉलेज

खण्ड अ

प्रवेश नियम व अर्हतायें

सभी संकायों में प्रवेश हेतु सामान्य नियम

Based On Circular Of 5.3.2002 Issued By The University And Resolution Of Admission Committe Meeting Of University. Any Change In These Rules By The University Shall Also Be Applicable.

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।
2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता उस विषय के सम्बन्धित अध्यादेश में वर्णित योग्यता होगी।
3. क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

   ख) जो विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में सुधार के योग्य हैं, उन्हें द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश की अन्तरिम अनुमति दी जायेगी। इस हेतु ये आवश्यक है कि उन्होंने लिखित परीक्षा मे 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। जैसी भी वस्तुस्थिति हो, परन्तु नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जब सुधार परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो।
4. क) परीक्षार्थियों को बी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में, पूर्ण करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र् से की जायेगी जिस सत्र् में विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो। यह नियम सत्र् 2001-2002 से प्रभावी है।

   ख) परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के दोषी अभ्यर्थियों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे, जितने वर्ष तक परीक्षा से वंचित रहे हैं।
5. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गई अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्णपूर्ण न करने पर पुन: उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. विद्यार्थी को किसी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है। जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है अर्थात् दो पूर्णकालिक पाठ्यक्रम को एक साथ पूर्ण करने की अनुमति नहीं होगी। दोनों पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में किसी एक का चयन करने का विकल्प विद्यार्थी को होगा।
7. यदि विद्यार्थी एक स्नातक में प्रवेश ले चुका है और तदन्तर वह अन्य स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश बिना पूर्व पाठ्यक्रम को पूर्ण किये लेता है तो उस दशा में पूर्व को स्नातक पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा/माना जायेगा और उसका शुल्क वापस नहीं होगा।
8. जिन विद्यार्थियों ने किसी भी पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है और उन्हें उसी स्नातक पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु स्थान रिक्त हों, तो ऐसे प्रवेशार्थियों को योग्यता सूची के आधार पर भाग-दो एवं तीन में प्रवेश दिये जा सकते हैं।
9. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुन: उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त होने पर, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले छात्रों को किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

    ख) ऐसे अभ्यर्थी को, जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रशीटर हैं अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी भी अपराधिक मुकदमें में शामिल है को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के स्वत: निरस्त हो जायेगा।

    ग) किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के होते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुन: प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।
11. जिन विद्यार्थियों ने जामिया-उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

12. जिन अभ्यर्थियों ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहबाद से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे सामान्यत: इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे, परन्तु उन्होंने यू.पी. बोर्ड से इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

13. जिन विद्यार्थियों ने संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा अथवा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे बी.ए./एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।

खण्ड ब

विशेष निर्देश

1 क)शासनादेश के अनुरूप महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों में अनुसूचितजाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए क्रमश:21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे।

ख)विकलांग/स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में क्रमश: 03 प्रतिशत, 022 प्रतिशत तथा 01 प्रतिशत स्थान श्रेणीवार आरक्षित रखे जायेंगे।

ग)यदि अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं उनके रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी में सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें सामान्य सीटें मानकर प्रवेश दिऐ जायेंगे।

2. उत्तर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए (मेरिट) योग्यता के आधार पर केवल 05 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे।

3. सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उपर्युक्त सुविधा के अन्तर्गत कुलपति के आदेश से प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है एवं अभिभावकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश इस शर्त पर दिये जा सकते हैं कि वे प्रवेश के लिए पात्रता रखते हों। ऐसे प्रवेश 31 अक्तूबर के उपरान्त नहीं लिये जायेंगे और इनके लिए सीटें निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होंगी।

4. प्रवेश के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल का एक अंक घटाकर प्रवेश सूची तैयार की जायेगी।

5. प्रवेश हेतु तैयार की गई योग्यता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष का एक अन्तराल का एक एक अंक घटाकर प्रवेश सूची तैयार की जायेगी।

अ.	राष्ट्रीय अथवा अंतर्विश्वविद्यालीय, खेलकूद में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
ब.	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
स.	विश्वविद्यालय/सम्बद्धमहाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी।	10 अंक
द.	एन.सी.सी. के ''सी''प्रमाण पत्र के लिये	10 अंक
	अथवा 'बी' और 'जी' प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
ड.	एन.एस.एस.के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें या	
	240 घंटे अथवा 120 घंटे तथा एक शिविर या	
	12 वीं कक्षा स्तर तक स्काउड गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
	1. प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	2. भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	3. रोवर्स रेंजर निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोट– किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र/छात्रा को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत् रहेगी। अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी।

6. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है। परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिए गये प्रवेश पर लागू नहीं होगा। अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे उन पर इस नियम के अन्तर्गत कुलपति महोदय अनुमति नहीं देंगे।

7. प्राचार्य किसी भी अभ्यर्थी को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताए प्रवेश के लिये मना कर सकता है। किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।

प्रवेश सम्बंधी महत्वपूर्ण सूचनायें

1. कोई भी अभ्यर्थी जो इस कालेज में संस्थागत छात्र के रूप में 7 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर चुका है उसे पुनः इस कॉलेज में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. तीन वर्ष के अन्तराल (गैप) में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. प्रवेश आवेदन पत्र भरकर उसे निर्धारित तिथि तक (जो कॉलेज द्वारा सूचना पट पर घोषित की जायेगी) जमा कर दें और उसकी रसीद प्राप्त कर लें। उसके उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ अंतिम परीक्षा/प्रवेश योग्य बनाने वाली परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित छाया प्रति लगायें।
5. यदि राष्ट्रीय/अंतर्विश्वविद्यालय/प्रदेशी/मंडलीय स्तर पर खेल–कूद प्रतियोगिता में भाग लिया है अथवा एन.सी.सी. के ''बी'' या ''सी''प्रमाण पत्र अथवा एन.एस.एस. का लाभ मांगा गया है तो उससे सम्बंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
6. आरक्षण श्रेणी के छात्र सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
7. सभी प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की छाया प्रति पर अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं।
8. आवेदन–पत्रों की प्राप्ति के उपरान्त योग्यता के आधार पर प्रवेश/चयन सूची कॉलेज सूचना पट पर लगा दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होने की तिथि एवं समय की सूचना भी अंकित होगी, उसी के अनुसार सभी को प्रवेश के लिए उपस्थित होना होगा। निर्धारित तिथि पर यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपने किसी निकट सम्बंधी जैसे–भाई–बहन, माता–पिता को प्रवेश के समय अवश्य भेज दें अन्यथा उसके प्रवेश का दावा समाप्त हो जायेगा।
9. शुल्क की धन राशि जो कि विवरण पुस्तिका में लिखी या बताई गई है उसे सम्बंधित शुल्क कांउटर पर जमा करने के लिए साथ लायें।
10. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण पत्रों को साथ लाना अनिवार्य है।

क) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं निर्गमन प्रमाण पत्र (यदि अन्य कॉलेज/विश्वद्यालय से आये हैं।

ख) चरित्र प्रमाण पत्र (अंतिम संस्था के प्रचार्य द्वारा), यदि किसी भी विद्यार्थी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश योग्य बनाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण की है जो अंतिम शिक्षा संस्था के प्राचार्य द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

ग) अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज फोटो की चार प्रतियाँ।

घ) सभी अंकतालिकाओं व अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ दिखाने के लिए साथ लानी होंगी तथा उनकी प्रमाणित छाया प्रति जमा करनी होगी।

11. जिन छात्रों ने स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। वे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय से पहले अनुमति प्राप्त कर लें अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा।

12. कॉलेज के प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक प्रवेश पत्र दिया जाता है। छात्रों को भलिभांति अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे दिखा सकें। परिचयपत्र की दूसरी प्रति केवल विशेष परिस्थिति में कार्यालय में 25.00 रूपये का भुगतान करने पर ही प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश लेने के एक सप्ताह में परिचय पत्र बनवाना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

शुल्क विवरण

महाविद्यालय क्षेत्र की सामाजिक/आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि छात्र-छात्राऐं शैक्षिक शुल्क विश्वविद्यालय मानकानुसार एक मुश्त भुगतान करेंगे।

नोट-अगर कोई अभ्यर्थी प्रयोगात्मक विषय लेता है तो ₹1000/- प्रति प्रयोगात्मक विषय के हिसाब से बढ़ता चला जायेगा।परीक्षा शुल्क अतिरिक्त

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क

सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क सुविधा एवं परीक्षा शुल्क शासन से प्राप्त होती है ऐसी सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह आवश्यक है कि प्रवेश के समय निर्धारित प्रार्थना-पत्र पर आवेदन करें और साथ में आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगायें। ऐसे छात्र छात्रायें जिनके माता पिता की आय शासनानुसार प्रतिवर्ष से अधिक है, वे यह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते है। जांच के दौरान किसी भी छात्र-छात्रा का प्रवेश दूसरे महाविद्यालय में पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। निम्न वार्षिक शुल्क शासन द्वारा देय नहीं है छात्र सहायता कल्याण परिषद् योगदान, परिचयपत्र, बोनाफाईड, वार्षिक उत्सव, काशनमनी, चिकित्सा शुल्क, रोवर रेंजर्स, इण्टरनेट, बी.ए. टीचिंग एवं बी.एड ऑडिट, कल्चरल ऐकेडमिक परिषद्, सांइस ब्रिकेज अनुदान, पूर्व छात्र परिषद्, भूगोल, मनोविज्ञान एवं गृहविज्ञान का प्रयोगात्मक शुल्क देय होगा।

स्नातक बी.ए. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

प्रत्येक छात्र/छात्रा को चार विषय लेने आवश्यक हैं उनमें सामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा अनिवार्य विषय हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य कोई तीन विषय अध्यन हेतु चयन करने होंगे:-

हिन्दी सामान्य, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी जनरल, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र।

प्रस्तावित- राजनीतिशास्त्र, ऊर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गृहविज्ञान, दर्शनशास्त्र, ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग।

बी.एस.सी.-बायो/मैथ, बी.कॉम, बी.एड., बी.टी.सी., एल.एल.बी., एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम।

टिप्पणी-

1. निम्नलिखित (बी.ए.) साहित्य विषय में से केवल दो ही साहित्यिक विषय लिये जा सकते हैं।

   1.हिन्दी साहित्य 2.अंग्रेजी साहित्य 3. उर्दू 4.फारसी 5.अरबी 6. संस्कृत

2. जिन छात्र/छात्राओं ने हाईस्कूल/माध्यमिक परीक्षा विशेष हिन्दी लेकर उत्तीर्ण नहीं की है। उन्हें प्राथमिक हिन्दी विषय लेना अनिवार्य है।

3. बी.ए. तृतीय वर्ष के लिए बी.ए. द्वितीय वर्ष में लिए गये ऐच्छिक विषयों में से कोई दो विषय (स्थान उपलब्ध होन पर) लेने होंगे। विषयों का चयन प्रथम एवं द्वितीय वरीयता आधार पर लिखें।

4. शिक्षाशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में से केवल एक विषय लिया जा सकता है।

ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने एवं देय मुक्ति (No Dues) प्राप्त करने इत्यादि के सम्बन्ध में नियमः

1. परीक्षा फार्म ऑनलाईन पूर्ण रूप से भरकर संबंधित अनुभाग में जमा करने की रसीद संबंधित कर्मी के हस्ताक्षर से प्राप्त करना अनिवार्य है, ताकि बाद में फार्म जमा करने या न जमा करने का विवाद न हो।
2. परीक्षा फार्म पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन जमा करना विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। फार्म जमा करने की तिथि सूचना पट पर घोषित की जायेगी।
3. परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि का कड़ाई से पालन होता है। यदि उस समय तक परीक्षा फार्म जमा नहीं किया तो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जायेगा।
4. परीक्षा का प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय शुल्क लिपिक से देय-मुक्ति पर भी हस्ताक्षर करा लें।
5. पुस्तकालय से देय मुक्ति अपनी सुविधानुसार फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक करा लें क्योंकि परीक्षा के (प्रवेश पत्र) अनुक्रमांक प्राप्त करने के लिए देय-मुक्ति कराना अनिवार्य है
6. पुस्तकालय से देय-मुक्ति करने के उपरान्त किसी भी छात्र-छात्रा को पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक नहीं मिलेगी।

बुक-बैंकः

बुक बैंक (पुस्तक सहायता)-ऐसे निर्धन छात्र/छात्रायें जो पुस्तक खरीदने में असमर्थ हैं उनके लियें बुक बैंक सुविधा रखी गई है। छात्र/छात्राओं को लम्बी अवधि के लिए पुस्तकें दी जाती हैं जिन्हें वह परीक्षा समाप्ति पर वापस करते हैं। ऐसी सुविधा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तकों के मूल्य का 20 प्रतिशत जमा करना होता है और उन्हें पुस्तक जमा करते समय कुछ कटौती कर वापस कर दिया जाता है। इच्छुक छात्र/छात्रायें निर्धारित प्रार्थना पत्र व मूल्य रू. 5.00/- पुस्तकालय से खरीदकर पुस्तकालय में ही जमा करें।

छात्र कल्याण परामर्शदात्री समिति :

विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को उठाने, सुविधाओं को बढ़ाने एवं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक छात्र कल्याण परामर्शदात्री समिति है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के दो छात्र/छात्रायें जिन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं सदस्य मनोनीत होते हैं। इनके अतिरिक्त अच्छे खिलाड़ी, कैडेट और वाद-विवाद प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले विद्यार्थी भी मनोनीत होते हैं। इस समिति में विभिन्न समितियों के संयोजक, प्राध्यापक, लाइब्रेरियन, क्रीड़ा अधिकारी होते हैं। इस समिति की बैठक में छात्र/छात्राओं की समस्याओं पर विचार विमर्श करके कार्यवाही की जाती है।

एच.एन.ए. रूहेलखण्ड डिग्री कॉलेज

नरायनपुर खेड़ा बझेड़ा (शाहजहांपुर)

(सम्बद्ध महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी. (मैथ्स.) एवं बी.एस.सी. (बायो)

प्रवेश आवेदन पत्र.................... सत्र् ....

रजिस्ट्रेशन नम्बर

नवीनतम फोटो लगायें

01. अभ्यर्थी का पूरा नाम (देवनागरी लिपि में) ....

02. पिता का पूरा नाम (देवनागरी लिपि में) ....

03. माता का पूरा नाम (देवनागरी लिपि में) ....

04. स्थायी पता ....

....

पिन कोड .... दूरभाष नं. .... जन्मतिथि ....

05. जिस कक्षा में प्रवेश लेना हो

बी.ए.	
बी.कॉम.	
बी.एस.-सी. (मैथ्य.)	
बी.एस.-सी. (बायो.)	

06. जिस वर्ग से सम्बन्धित हो उसके सामने (✓) का चिन्ह लगायें- पु. म.

मुख्य वर्ग

एस.सी.	
एस.टी.	
ओ.बी.सी.	
सामान्य	

उपवर्ग

महिलायें			
पी.एच.			
डी.एफ.		एफ.एफ.	
एनसीसी 'सी' ग्रेड 'बी'			

विषय (1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

07. निम्न में जिस प्रमाण-पत्र के धारक हों उसके सामने (✓) का चिन्ह लगायें

राष्ट्रीय खेलकूद में भागीदारी	
एन.सी.सी. 'बी' या जी	
एन.सी.सी. 'सी' या जी	
स्काउट गाइट/तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण	
प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	
एनएसएस दो शिविर एवं 240 घण्टे की सेवायें	
एनएसएस एक शिविर एवं 240 घण्टे की सेवायें	
रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	

08. उत्तीर्ण की गई परीक्षा का विवरण-

(अ) उत्तीर्ण परीक्षा का नाम..................अनुक्रमांक............

(ब) प्राप्तांक ☐☐☐ कुल अंक ☐☐☐☐

(स) जिससे परीक्षा पास की है उसके सामने (✓) का चिन्ह लगायें -

यूपी बोर्ड ☐ आईएससी ☐ सीबीएसई ☐ अन्य ☐

(द) परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष ☐☐☐☐

09. क्या आप कालेज के शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं, (✓) का चिन्ह लगायें - हाँ ☐ नहीं ☐

क्या आप एमजेपी रु.वि.वि./ सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पुत्र/पुत्री हैं (✓) का चिन्ह लगायें - हाँ ☐ नहीं ☐

नोट:- कोई भी अधिभार या आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उससे सम्बन्धित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय सभी मूल प्रमाण पत्र (छायाप्रतियों सहित) साथ लेकर आयें।

एच.एन.ए. रूहेलखण्ड डिग्री कॉलेज

नरायनपुर खेड़ा बझेड़ा (शाहजहांपुर)

रजिस्ट्रेशन नम्बर

प्रवेश आवेदन पत्र.................... सत्र् ....

अभ्यर्थी का नाम..............................

पिता का नाम ....

कक्षा जिसमें प्रवेश लेना चाहते हैं..............................

तिथि : ....

कार्यालय सहायक के पूर्ण हस्ताक्षर

10.	प्रार्थी द्वारा उत्तीर्ण पूर्ण परीक्षाओं का विवरण				(समस्त फोटोप्रतियाँ स्वप्रमाणित करके ही संलग्न करें)			
क्र. सं.	परीक्षा	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत	बोर्ड या विश्वविद्यालय	संस्थागत या व्यक्तिगत	शिक्षण संस्था का नाम	विषय
1.	हाई स्कूल							
2.	इण्टरमीडिएट							
3.	स्नातक प्रथम वर्ष							
	द्वितीय वर्ष							
	तृतीय वर्ष							
4.	स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध							
	उत्तरार्द्ध							
5.	अन्य							

नोट : यदि विगत उत्तीर्ण परीक्षा तथा प्रवेश हेतु आवेदित कक्षा के मध्य समय अन्तराल है तो उसका **शपथ पत्र** मूल रूप में संलग्न करें

11. क्या अभ्यर्थी दण्डविधान की किसी धारा का अभियुक्त रहा है? यदि हाँ तो उसका विवरण संलग्न करें।	हाँ		नहीं	
12. क्या अभ्यर्थी कभी अनुचित साधन या अभद्र व्यवहार के कारण दण्डित हुआ है? यदि हाँ तो उसका विवरण संलग्न करें।	हाँ		नहीं	

नोट : 1. प्रवेश के समय दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फोटो लेकर आयें। 2. अन्तिम तिथि के बाद फार्म जमा नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं.. पुत्र/पुत्री श्री.. उक्त विवरण पूरी तरह से सत्य है तथा कोई सूचना छुपाई नही गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अध्ययनकाल के दौरान मैं किसी भी अनुचित कार्य में, जो महाविद्यालय की छवि धूमिल करें, संलिप्त नहीं रहूंगा/रहूंगी और यदि ऐसे किसी अनुचित कार्य में सम्मिलित पाया/पायी जाऊं तो कालेज प्रशासन, विश्वविद्यालय नियमों के अंतर्गत मेरा प्रवेश निरस्त कर सकता है।

दिनांक............. /............/ 20 हस्ताक्षर प्रार्थी

अभ्यर्थी के पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं... पुत्र/पुत्री श्री... पता ....उपर्युक्त समस्त विवरण पूर्णतया सत्य है और मैं उनसे सहमत हूँ मैं आश्वस्त करता हूँ/करती हूँ कि मेरा संरक्षित, महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त नियमों- निर्देशों का पूर्णत: सदाचार के साथ पालन करेगा तथा उसके द्वारा किसी भी प्रकार के अप्रिय व्यवहार एवं आचरण के लिए मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। इस परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। मेरे संरक्षित के विरूद्ध किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकद्मा नहीं चल रहा है/ चल रहे हैं।

दिनांक............../.........../20 दूरभाष नं.................................... अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर (संयोजक के समक्ष)

कार्यालय प्रयोग हेतु

1.	मैंने प्रपत्र की प्रविष्टियों का निरीक्षण कर लिया है। ये प्रपत्र पूर्ण है।		अपूर्ण है		

दिनांक................/..........20 निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

2.	प्रवेश समिति की आख्या	

दिनांक................/..........20 संयोजक के हस्ताक्षर

3.	प्राचार्य का आदेश	

दिनांक................/..........20 प्राचार्य

✂--✂--✂

चयनित विषय --